



Neutral Citation No. - 2026:AHC:168004-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या- 2974/2026

युनूस एवं 7 अन्य

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता	: आदिल खान
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता	: अब्दुल अहद, शासकीय अधिवक्ता, मोहम्मद जुनैद खान, पुलकित

न्यायालय संख्या- 48

माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र धारी सिंह

माननीय न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना

1- वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्तागण द्वारा निम्नलिखित मुख्य प्रार्थनाओं के साथ दाखिल की गई है:-

"(1) उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए दिनांक 30.01.2026 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त किया जाए, जो मुकदमा अपराध संख्या 104 सन् 2026 में धारा 85, 115(2), 352, 351(2) बी.एन.एस., धारा 3/4 डी.पी. अधिनियम तथा धारा 3/4 मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम-2019 के अन्तर्गत थाना मझोला, जनपद मुरादाबाद में पंजीकृत है।

(2) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2 को आदेशित एवं निर्देशित किया जाए कि दिनांक 30.01.2026 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसरण में याचिकाकर्तागण को परेशान, प्रताड़ित एवं गिरफ्तार न करे, जो मुकदमा अपराध संख्या 104 सन् 2026 में धारा 85, 115(2), 352, 351(2) बी.एन.एस., धारा 3/4 डी.पी. अधिनियम तथा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



धारा 3/4 मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम-2019 के अन्तर्गत थाना मझौला, जनपद मुरादाबाद में पंजीकृत है।"

2- याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया और न्यायालय को अवगत कराया कि पक्षकारों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मध्यस्थता एवं सुलह केन्द्र के समक्ष अपने सम्पूर्ण विवादों का पहले ही निस्तारण कर लिया है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि दोनों पक्षकारों द्वारा समझौता करार पर इस वचनबद्धता के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं कि वे दिनांक 24.07.2026 के समझौता करार में उल्लिखित सभी निबंधनों एवं शर्तों का पालन करेंगे। बहस के दौरान, उन्होंने समझौता करार की छायाप्रति प्रस्तुत की, जिसे अभिलेख पर लिया गया है।

3- पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया कि संबंधित पक्षकारों ने अपने विवादों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निस्तारण कर लिया है। दिनांक 17.02.2026 के आदेश के अनुपालन में प्रकरण को मध्यस्थता एवं सुलह केन्द्र, इलाहाबाद उच्च न्यायालय को संदर्भित किया गया था। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि संबंधित पक्षकार दिनांक 24.07.2026 के उक्त समझौता करार में उल्लिखित सभी निबंधनों एवं शर्तों का पालन करेंगे, जो अभिलेख पर है। उक्त करार के पैरा-7 में उल्लिखित करार के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, जो निम्नलिखित है:

"7. इस करार के पक्षकारों के मध्य निम्नलिखित समझौता हुआ है:

ए) यह कि दोनों पक्षकार दिनांक 22.06.2026 से पूर्व के सभी विवादों एवं मतभेदों को भूलकर पति एवं पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं। उक्त के क्रम में, पक्षकार उपस्थित हुए और कथन किया कि वे इस पुनर्मिलन से पूर्णतः संतुष्ट हैं और आगे इसे अपने शेष जीवन तक जारी रखना चाहते हैं।

(बी) यह कि पति एवं पत्नी वचन देते हैं कि वे ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी भी पक्षकार को मानसिक या शारीरिक रूप से ठेस पहुंचे और अपने कार्यकलापों द्वारा एक-दूसरे को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे।

(सी)- यह कि पक्षकार किसी भी प्रकार से एक-दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार की क्रूरता नहीं करेंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(डी)- यह कि पक्षकारों के मध्य यह सहमति हुई है कि वे उचित व्यवहार करेंगे और शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहेंगे।

(ई)- यह कि पति अपनी पत्नी एवं पुत्र की देखभाल करने और भविष्य में उनकी सभी आवश्यकताओं एवं सुविधाओं को पूरा करने का वचन देता है।

(एफ)- यह कि पक्षकारों के मध्य यह भी सहमति हुई है कि वर्तमान वैवाहिक विवाद के संबंध में उनके द्वारा एक-दूसरे अथवा उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध दाखिल किए गए सभी सिविल एवं आपराधिक प्रकरण, यदि कोई हों, संबंधित पक्षकारों द्वारा संबंधित न्यायालय/प्राधिकारी के समक्ष उचित कदम उठाकर वापस ले लिए जाएंगे।

(जी)- यह कि पक्षकार वर्तमान वैवाहिक विवाद के संबंध में एक-दूसरे अथवा उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध कोई नया प्रकरण दाखिल नहीं करेंगे।

(एच)- यह कि पक्षकारों के मध्य यह सहमति हुई है कि वे इस समझौते के निबंधनों एवं शर्तों का उल्लंघन नहीं करेंगे।"

4- पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि चूंकि संबंधित पक्षकारों के मध्य सभी विवादों का इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मध्यस्थता एवं सुलह केन्द्र के समक्ष पहले ही निस्तारण हो चुका है, इसलिए याचिकाकर्तागण के विरुद्ध दिनांक 30.01.2026 की आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त किए जाने योग्य है।

5- राज्य-प्रत्यर्थागण की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने समझौता करार के तथ्यों पर विवाद नहीं किया है।

6- याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आदिल खान, प्रत्यर्था संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रत्यर्थागण की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. को सुना।

7- हमने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मध्यस्थता एवं सुलह केन्द्र द्वारा भेजे गए दिनांक 24.07.2026 के समझौता करार का परिशीलन किया है।

8- याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थागण की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए., प्रत्यर्था संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों, दिनांक 24.07.2026 के समझौता करार तथा संबंधित पक्षकारों द्वारा दिए गए अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इस कथन कि वे उक्त समझौता विलेख के सभी निबंधनों एवं शर्तों का पालन करेंगे, को ध्यान में रखते हुए, हम संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्तागण को विचारण पर रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

9- उपर्युक्त तथ्यों तथा माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, (2012) 10 एससीसी 303** के निर्णय में प्रतिपादित विधि को दृष्टिगत रखते हुए, हम इस रिट याचिका को स्वीकार करने के इच्छुक हैं।

10- तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका **स्वीकार** की जाती है।

11- आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 30.01.2026, जो मुकदमा अपराध संख्या 104 सन् 2026 में धारा 85, 115(2), 352, 351(2) बी.एन.एस., धारा 3/4 डी.पी. अधिनियम तथा धारा 3/4 मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम-2019 के अन्तर्गत थाना मझोला, जनपद मुरादाबाद में पंजीकृत है, एतद्वारा रद्द की जाती है।

(न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना) (न्यायमूर्ति चन्द्र धारी सिंह)

11 अगस्त, 2026

एस.के. श्रीवास्तव

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।